

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्र सं० 1067 रोडी/14-45रोडी/विविध/14

दिनांक 24.04.2014


- 1-प्रधान प्रबन्धक(के०कार्य०/डा०रा०म०लो०कार्य०),
उ०प्र०परिवहन निगम, कानपुर।
- 2-प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान,
उ०प्र० परिवहन निगम कानपुर।
- 3-समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
उ०प्र०परिवहन निगम।
- 4-समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ०प्र०परिवहन निगम।
- 5-प्रबन्धक, कारसेक्सन,
उ०प्र०परिवहन निगम।
लखनऊ।

विषय-नियमित/संविदा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सत्यापन के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं०-786रोडी/14-45 रोडी/
विविध/14 दिनांक 03.04.14 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से प्रबन्ध निदेशक
महोदय द्वारा दिए गये आदेशानुक्रम में आपके क्षेत्र/ईकाई में कार्यरत समस्त
संविदा/नियमित चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता का सत्यापन कराकर
बिन्दुवार सूचना 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, जो
अभी तक आपके स्तर से अपेक्षित है।

कृपया पुनः स्मरण कराना है कि प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा दिए गये
निर्देशानुपालन में निम्न बिन्दुओं पर सूचना तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें,
ताकि तदनुसार प्रबन्ध निदेशक महोदय को स्थिति से अवगत कराया जा सके।

- 1- संविदा के आधार पर रखे गये चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस का क्षेत्रीय प्रबन्धक
सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के माध्यम से सत्यापन करा कर फर्जी चालकों के
विरुद्ध कार्यवाही की जाये तथा सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाय।
- 2- नियमित चालकों के लाइसेंस की वैधता का क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय
प्रबन्धक सत्यापन करा कर आख्या प्रस्तुत करें।


(एस०के० बनर्जी)
प्रधान प्रबन्धक (अनु०)